***Regarding non-implementation of Post-Matric Scholarship for SC students in Bihar-Laid**

श्री मनोज कुमार **(सासाराम) :** PMS SC दिशानिर्देश 2021 के अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक योग्य दलित विद्यार्थी को फ्रीशीप कार्ड देना है जिसके आधार पर विद्यार्थी को बिना किसी फीस के पेमेंट के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन मिलेगा तथा बाद मे केंद्र व राज्य सरकार मिलकर फीस का भुगतान करेगी । उक्त योजना के तहत पिछले तीन वर्षों 2021-22,2022-23 तथा 2023-24 में दलित बाहुल्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश को ₹ 2132.11 करोड मिले लाभार्थी 3088122, महाराष्ट्र को ₹ 2075.41 करोड़ मिले, लाभार्थी 966466, तमिलनाडु को ₹ 1721.72 करोड़ रूपये मिला, लाभार्थी 1628682 है । उपरोक्त तीन वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर 11794 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जिसमें से बिहार को मात्र 58.83 करोड रुपए मिल पाया क्योंकि यहां राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार योजना का संचालन नहीं कर रही है । अतः मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार के PMS-SC दिशानिर्देश 2021 के अंतर्गत फ्रीशीप कार्ड को बिहार मे केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की तिथि अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू कराया जाए और राज्य के दलित विद्यार्थियों का पूर्ण शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति के माध्यम से किया जाए ।